फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री दिनेशचन्द्र | विपक्षी :– तहसीलदार कानोड
किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 111/23

क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.02.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण मे तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट पूर्व में पेश की गई जो आज रेकर्ड पर ली गई। शामिल फाईल रहे। रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार नवीन भू-प्रबन्ध के बाद प्रार्थनाग्रस्त आरजीयात की तरमीम साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार नहीं कर अन्यत्र कर दी जिसे साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार राजस्व ग्राम खंडेवडा तहसील कानोड की जमाबंदी संवत 2069–72 की खाता संख्या 21 पर आराजी नंबर 134/119, 147/119, 148/119 किता 3 रकबा 10 विघा भूमि प्रार्थी दिनेशचन्द्र पिता केशवलाल सामरिया के नाम दर्ज रेकर्ड होकर नक्शे में तरमीम शुदा थी। भू-प्रबंधन बाद जमाबंदी संवत 2078–81 की खाता संख्या 14 पर उक्त साबिक आराजी नंबर के नवीन आराजी नंबर 263 रकबा 1.0000 है., आ. न. 264 रकबा 0.70000 है., आ. न. 265 रकबा 0.4600 है. बनाये गये जो प्रार्थी दिनेशचन्द्र पिता केशवलाल सामरिया के नाम दर्ज रेकर्ड है तथा साथ ही उक्त गत आ. न. 147/119 रकबा 4 विघा, आ. न. 148/119 रकबा 2 विघा का भू-प्रबंधन के बाद नया आराजी नम्बर 271 रकबा 1.0000 है. भी बनाया गया एवं मूल आराजी नंबर 119 के हाल नये आ. न. 270, 280 बनाये गये। तहसीलदार कानोड़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी के नाम दर्ज गत आ. न. 134/119, 147/119, 148/119 किता 3 रकबा 10 विघा भूमि में पूर्व नक्शे में दर्शाये अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है किन्तु वर्तमान नक्शे में प्रार्थी के नाम दर्ज वर्तमान आराजी नंबर 263, 264, 265 किता 3 रकबा 2.1600 है. अन्यत्र जगह दर्शाया गया है जहां प्रार्थी काबिज नहीं है। प्रार्थी नये नक्शे अनुसार केवल आ. न. 265 रकबा 0.4600 है. मे से 0.11 है. भूमि पर ही काबिज है एवं शेष भूमि बिलानाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई है। तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

हमने प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व तहसीलदार कानोड़ द्वारा पेश रिपोर्ट/जवाब व प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन से यह पाया कि प्रार्थी की गत आ. न. 134/119, 147/119, 148/119 के साबिक नक्शा ट्रेस की तरमीम व भू-प्रबंधन के बाद बने नये नवीन आराजी नंबर 263, 264, 265 की नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम में भिन्नता है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के नाम दर्ज गत आ. न. 134/119, 147/119, 148/119 किता 3 रकबा 10 विघा भूमि में पूर्व नक्शे में दर्शाये अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज होना बताया किन्तु वर्तमान नक्शे में प्रार्थी के नाम दर्ज वर्तमान आराजी नंबर 263, 264, 265 किता 3 रकबा 2.1600 है. अन्यत्र जगह दर्शाया गया है जहां प्रार्थी काबिज नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी की गत आ. न. 134/119, 147/119, 148/119 की तरमीम नवीन नक्शा ट्रेस मे आराजी नंबर 265 के आंशिक भाग व आराजी नंबर 270, 271 से मिलान करती है जिसे तहसीलदार कानोड़ द्वारा भी प्रस्तावति नक्शा ट्रेस में बताया है। आ. न. 270, 271 वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नवीन सेंटलमेंट के बाद प्रार्थी की प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात को मौके व साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम नहीं कर अन्यत्र तरमीम कर दी गई जिसे सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खण्डेवड़ा पटवार हल्का आकोला तहसील कानोड की जमाबंदी संवत 2078–81 की आराजी नंबर 270 रकबा 1.0500 है., आराजी न. 271 रकबा 1.0000 है. भूमि बिलानाम राज. सरकार के बजाय प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने व आराजी न. 263 रकबा 1.0000 है., आराजी न. 264 रकबा 0.7000 है. भूमि प्रार्थी के बजाय बिलानाम राज. सरकार दर्ज किये जाने व आराजी न. 265 रकबा 0.4600 है. में से 0.3500 है. भूमि प्रार्थी के बजाय बिलानाम राज. सरकार के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 17:00:06 IST
Reason: SelfAttested